महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय (~~मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार~~)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
Ministry of Education (~~Ministry of HRD, Govt. of India~~)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019

दिनांक : 30.09.2020

कार्यालय आदेश - 943

विषय : प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद पाठशालाओं को अनुदान प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित समस्त पाठशाला प्रबंधक/ सचिव/सोसायटी सदस्य को पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 699 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में सूचित किया जाता है, कि प्रतिष्ठान से अनुदान प्राप्त कर रहे सोसायटी /ट्रस्ट निम्नानुसार निर्देशों का पालन करें।

(1) समस्त पाठशाला प्रबंधक **"वेद की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा वेदों के प्रचार, प्रसार एवं उन्नयन"** हेतु कार्य करने के उद्देश्य को पाठशाला / संस्था की ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों में यथाशीघ्र ही सम्मिलित करें। दिसम्बर, 2020 से पूर्व सभी ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों की समीक्षा की जाएगी।

(2) इसके साथ ही संस्था के ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों में **"सस्वर वेद अध्ययन/अध्यापन हेतु जारी अनुदान वेद की मौखिक उच्चारण की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा वेदों के प्रचार-प्रसार तथा उन्नयन एवं जिस उद्देश्य हेतु दिया जा रहा है, उसी उद्देश्य /मद में ही उपयोग किया जाएगा"** को सम्मिलित करें।

(3) **पाठशाला / सोसायटी/ ट्रस्ट के कार्यकारिणी में दर्शाए गए सदस्यों की समीक्षा से यह पता चला है कि अनेक सोसायटी/ ट्रस्ट में संचालक वेदपाठशाला के ही अध्यापक स्वयं अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष हैं, तथा पिता/पुत्र/पुत्री/भ्राता/धर्मपत्नी आदि सगे संबंधी न्यासी/ट्रस्टी हैं। जिससे समय-समय पर वेदपाठशाला के सुचारू संचालन, छात्रों के अध्ययन-अध्यापन की समीक्षा आदि में Conflict of Interest परिलक्षित हो रही है। अनुदान प्राप्ति संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र, आय- व्यय लेखे, प्राप्ति- भुगतान लेखा, अनुदान हेतु आवेदन पत्र आदि वांछनीय प्रपत्र समय पर प्रतिष्ठान को प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं। अत: ट्रस्ट/ सोसायटी इस तरह की प्रवृत्ति की पुन: समीक्षा करें तथा निष्पक्ष रूप से ट्रस्ट/ सोसायटी द्वारा संचालित वेदपाठशाला को चलाएं। कोई Conflict of Interest वाले व्यक्ति कार्यकारिणी मेंन रहें।**

(4) **जिन संस्थाओं/ ट्रस्ट/ सोसायटी द्वारा वेदपाठशालाओं के संचालन के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान भारत सरकार की संस्था प्रतिष्ठान से प्राप्त किया जा रहा है। उन ट्रस्टों/ संस्थाओं को अध्यापकों / कर्मचारियों की सेवा हेतु दिशानिर्देश तैयार करना अनिवार्य है। प्रतिष्ठान द्वारा पाठशालाओं को अध्यापन की व्यवस्था हेतु अध्यापक मानदेय दिया जाता है। प्रतिष्ठान से अनुदानित अध्यापक सरकारी कर्मचारी नहीं है। वे पाठशाला के ही कर्मचारी हैं। अत: पाठशालाओं के सुचारू संचालन / पाठशाला के कर्मचारियों हेतु सोसायटी/ट्रस्ट को स्वयं नियम बनाना अनिवार्य है।**

(5) समस्त पाठशाला प्रबंधक पाठशाला का सोसायटी पंजीयन एक्ट 1860 अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सोसायटी पंजीयन एक्ट में उपर्युक्त अनुरूप संशोधित पंजीयन नवीनीकरण कराएं तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति समवाय ज्ञापिका तथा नियमावली (MoA & Rules) की प्रति के साथ प्रतिष्ठान में प्रेषित करें।

निरन्तर....

(6) जिन पाठशालाओं ने भारत सरकार के **दर्पण पोर्टल** में पंजीयन नहीं कराया है, वे पाठशालाएं जिस राज्य में पाठशाला स्थित है, उस राज्य के अधीन दर्पण पोर्टल में पंजीयन कराएं ।

(7) समस्त पाठशाला प्रबंधक पाठशाला के लेटर हेड में संस्था का नाम तथा सोसायटी पंजीयन एक्ट का क्रमांक / दर्पण पोर्टल पंजीयन क्रमांक, कार्यकारिणी सदस्यों का नाम अंकित करें ।

(8) प्रतिष्ठान से अनुदानित कुछ वेदपाठशालाओं के नाम में अनुसंधान, शोध संस्थान, पारमार्थिक न्यास, आदि प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु वेदपाठशाला शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं हैं । अत: प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेद पाठशालाओं के नाम के आगे वेदपाठशाला उल्लेख होना अनिवार्य है ।

इस हेतु समस्त पाठशाला प्रबंधक पाठशाला का प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेटर हेड तैयार करें। जिसमें सबसे उपर वेद पाठशाला का नाम हो, उसके नीचे जिस ट्रस्ट/ सोसायटी/ संस्था द्वारा वेद पाठशाला चलाई जा रही है, उस पंजीकृत संस्था /ट्रस्ट/ सोसायटी के नाम का उल्लेख हो ।वेद पाठशाला के नाम के बाद वेद पाठशाला लिखा होना अनिवार्य है । पाठशाला के लेटर हेड में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार से अनुदानित होने का उल्लेख करें । (लेटर हेड का प्रारूप संलग्न हैं)

(9) समस्त पाठशाला प्रबंधक पाठशाला के बाहर प्रवेश द्वार पर प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए **स्थायी बोर्ड** लगाएं । जिससे भारत सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी जन-जन तक पहुंच सके एवं वेदाध्ययन हेतु माता-पिता अपने पुत्र/पुत्रियों को वेदपाठशालाओं में प्रवेश दिला सकें ।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र
(2) डॉ. अनूप कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी(प्र.), मसारावेविप्र
(3) समस्त वेदपाठशाला डीलिंग असिस्टेंट – पाठशालाओं को ईमेल से सूचित करने हेतु ।
(4) समस्त वेदपाठशाला प्रबंधकों/सचिव को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(5) कार्यालय आदेश पत्रावली ।

पाठशाला
का लोगो

वेद पाठशाला का नाम

(संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी .....द्वारा संचालित)

रजिस्टर्ड पता.....

वेद पाठशाला का दूरभाष नं....., ईमेल :.....

संस्था ट्रस्ट का सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. : .....

संस्था का दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन नं. : .....

[महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानित)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.आ. जवासिया, उज्जैन : 456006(म.प्र.)]

प्रतिष्ठान दूरभाष : 0734- 2502266/2502255 ईमेल : msrvvpujn@gmail.com

प.क्रं..... दिनांक :.....

पाठशाला /सोसायटी के
कार्यकारिणी सदस्यों
के नाम एवं दूरभाष नं.

1. अध्यक्ष
2. सचिव
3. कोषाध्यक्ष
4. कार्यकारिणी सदस्य
5. कार्यकारिणी सदस्य
6. कार्यकारिणी सदस्य
7. कार्यकारिणी सदस्य
8. कार्यकारिणी सदस्य
9. कार्यकारिणी सदस्य
10. कार्यकारिणी सदस्य